महत्वपूर्ण

संख्या-26/2020/1345/86-2019

प्रेषक,

हिमांशु कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवामें,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 15 जुलाई, 2019

विषयः-सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों पर रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

कृपया उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-594/77-5-2001/200/77टी0सी0-1, दिनांक 02.02.2001 तथा तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-3891/77-5-2002-1(216)93, दिनांक 05.08.2002, शासनादेश संख्या-1246/77-5-2005-445/2003, दिनांक 13.03.2006, शासनादेश संख्या-4951(1)/77-5-2006-506/05, दिनांक 05.10.2006, शासनादेश संख्या-5860/77-5-2006-506/05, दिनांक 21.12.2006 तथा शासनादेश संख्या - 3385/86-2015-292/2015, दिनांक 15.10.2015, जिसके द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों पर रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो में प्रयुक्त खनिजों के सापेक्ष जमा रायल्टी की महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा आडिट करने पर पाया गया कि कार्यदायी संस्थाओं के विभागीय अधिकारियों द्वारा बिना अभिवहन प्रपत्र (एम0एम0-11) का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से सत्यापन कराये अथवा बिना रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित किये ठेकेदारों के बिलों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि अधिकारियों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान के अवसर पर सन्दर्भित शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

3. अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले खनिजों के सम्बन्ध में देय रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कृपया कष्ट करें :-

1. सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज का नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (ई-एम0एम0-11) के आधार पर ही परिवहन किया गया है।

2. रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाये।

3. प्रत्येक कार्यदायी संस्था/निर्माण इकाई से रायल्टी, निर्धारित लेखा शीर्षक में, जमा करायी जाये। सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं/निर्माण इकाईयों द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रतिमाह जिलाधिकारी तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाये कि उक्त संस्था/निर्माण इकाई के निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिजों/उपखनिजों की रायल्टी की कोई देय धनराशि ठेकेदार से वसूली होने हेतु अथवा कोषागार में जमा करने के लिए अवशेष नहीं है। देय रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के पश्चात् ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाय। यदि कार्यदायी विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ठेकेदार से देय रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित

http://shasanadesh.up.nic.in

किये बिना अन्तिम भुगतान कर दिया जाता है अथवा रायल्टी ससमय राजकीय कोष में जमा नहीं किया जाता है, तो निहित सरकारी राजस्व की हानि हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

4. जिलाधिकारी के स्तर पर प्रतिमाह विकास कार्यो की समीक्षा बैठक के अवसर पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपखनिज की देय रायल्टी जमा कराये जाने की प्रगति-समीक्षा भी की जाये तथा निर्माण इकाईयों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त अदेयता प्रमाण पत्र भी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराया जाय।

5. शासनादेशों की आड़ में कार्यदायी संस्था से सम्बन्धित कतिपय ठेकेदारों द्वारा ऐसे स्थान, जहां उपखनिजों के खनन के लिए पट्टे स्वीकृत है एवं जहाँ पर वैध अभिवहन प्रपत्र (ई-एम0एम0-11) के आधार पर खनिज प्राप्त किया जा सकता है, उन स्थानों पर भी उपखनिजों का अवैध रूप से खनन कर निर्माण कार्य में प्रयोग कर लिया जाता है। ठेकेदारों का उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 एवं उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम-3 के प्राविधानों के प्रतिकूल है।

4. वर्तमान में उपखनिजों के परिवहन हेतु शासनादेश संख्या-1407/86-2017-107 (सामान्य) /2017, दिनांक-11.07.2017 द्वारा दिनांक 01.08.2017 से मुद्रित अभिवहन प्रपत्र एम0एम0-11 के स्थान पर आनलाईन रायल्टी के भुगतान हेतु ई-एम0एम0-11 प्रपत्र लागू किया गया है। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत खनन पट्टाधारक द्वारा आनलाईन भुगतान के आधार पर स्वयं ई-एम0एम0-11 जनरेट किया जा रहा है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो गया है कि निर्माण कार्यो में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष ठेकेदारों द्वारा कार्यदायी ससंथाओं में प्रस्तुत ई-एम0एम0-11 का सत्यापन सम्बन्धित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से कराया जाये एवं जितने उपखनिज की मात्रा के सापेक्ष ई-एम0एम0-11 ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उसे अवैध खनन मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रायल्टी का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। निर्माण इकाईयों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाये कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष रायल्टी की देयता शेष नहीं है।

5. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(हिमांशु कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1345(1)/86-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को उनके पत्र संख्या-359/एम-31ए 11-लेखा-परीक्षा/2013, दिनांक 12.06.2019 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि कृपया शासन द्वारा अधिकृत समस्त कार्यदायी संस्थाओं को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आत्मा राम)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in